

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर  
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर आरसीटी / 20 / 2017

दांडिक प्रकरण क.-09 / 17

संस्थापित दिनांक-17.01.17

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। .....अभियोजन
<b>विरुद्ध</b>
01-राजकुमार पुत्र छोटेलाल कोली उम्र 28 वर्ष 02-गोलू उर्फ पृथ्वीराज पुत्र छोटेलाल कोली उम्र 22 वर्ष 03-सौरभ पुत्र दिनेश कोली उम्र 19 वर्ष निवासीगण बडापुरा, प्राणपुर थाना चंदेरी। .....आरोपीगण
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :- श्री पठान अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 07.07.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 341, 354, 506, 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादवि की धारा 341, 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 354 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी रजनी कोली ने दिनांक 17.10.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को सुबह करीब 10 बजे वह अपने घर से पानी भरने के लिए घासीराम अहिरवार के घर के सामने लगे सरकारी हैंडपंप पर पानी भरने जा रही थी, जैसे ही वह भंवरलाल कोली के घर के सामने पहुंची तो रास्ते में उसे राजकुमार पुत्र छोटेराल कोली निवासी प्राणपुर ने बुरी नीयत से उसका दाहिना हाथ पकड़कर रास्ता रोककर बोला और बुरा काम करने के लिए चलने को कहा। घटना के समय राजेश कोली मौजूद था। जब वह राजकुमार से अपना हाथ छुड़ाकर भागी तो और अपने पति कृष्णकांत को आकर घटना बताई तब उसने पति ने राजकुमार से घटना के बारे में कहा तो आरोपी बोला कि अगर थाने में रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 492/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 341, 354, 506 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 354, 341, 506 भाग—दो, 34 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 17.10.2016 को को समय 10.00 बजे आम रास्ता, भंवरलाल के घर के सामने, बडापुर ग्राम प्राणपुर चंदेरी पर फरियादिया रजनी कोली जो कि एक स्त्री है, उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उसके साथ बुरा काम करने के लिए कहकर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 रजनी कोली, अ.सा. 02 कृष्णकांत की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 रजनी कोली ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को वह पानी भरने के लिए हैंडपंप पर गई थी जहां पर आरोपी राजकुमार ने उसके साथ गाली गलौच की थी। उक्त साक्षी के अनुसार मना करने पर आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देने लगा और साथ ही मौके पर अन्य आरोपीगण भी उपस्थित थे। उक्त साक्षी के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट प्रपी 01 लेखबद्ध कराई थी तथा पुलिस ने नक्शामौका प्रपी 02 बनाया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण रास्ते में खड़े होकर उसके साथ गाली गलौच कर रहे थे। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 03 तथा पुलिस रिपोर्ट प्रपी 01 में छेड़छाड़ वाली बात लिखाने से इंकार किया है। अ.सा. 02 कृष्णकांत ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने उसकी पत्नी के साथ गाली गलौच की थी जिसके बारे में उसकी पत्नी ने उसे बताया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की थी और इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसकी पत्नी का हाथ पकड़ा था। उक्त साक्षी ने कथन प्रपी 04 भी देने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी

की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मामले की फरियादी तथा अन्य किसी साक्षी ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी के साथ छेड़छाड़ की गई या बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ा गया।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)